

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक- 25/11/25

संचिका संख्या-08/नि.को.(रा.) विभागीय-733/2025 5877/श्री ललित कुमार झा, सहायक निबंधक, स.स., सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गुठनी, सिवान के विरुद्ध बिना सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किये विरमित किये बिना ही मुख्यालय छोड़कर पूर्व पदस्थापित स्थल पर योगदान करने हेतु प्रस्थान करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(3) एवं 17(4) के तहत आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-4260 दिनांक-19.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की गई।

श्री ललित कुमार झा द्वारा समर्पित अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संख्या-4732 दिनांक-30.04.2025 द्वारा सेवा पैतृक विभाग में वापस किए जाने के आलोक में अपना योगदान दिनांक-05.05.2025 को समर्पित किया गया। पुनः अधिसूचना संख्या-5296 दिनांक-13.05.2025 द्वारा उक्त अधिसूचना को विलोपित किए जाने के बाद अधिसूचना अस्तित्व में नहीं रहा जिसके आलोक में दिनांक-15.05.2025 को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गुठनी, सिवान का प्रभार ग्रहण किया गया।

श्री ललित कुमार झा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री ललित कुमार झा के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में केवल सेवा वापस किये जाने एवं उसे विलोपित किये जाने संबंधी पत्र का उल्लेख करते हुए योगदान किये जाने का वर्णन किया गया है। जबकि नियमानुसार योगदान के उपरान्त विभागीय निदेश प्राप्त करने के बाद ही निदेशानुसार कार्रवाई किया जाना चाहिए था। पूर्व की अधिसूचना को विलोपित करने संबंधी नगर एवं आवास विभाग की नई अधिसूचना में कोई निदेश विहित नहीं किया गया था कि वे पूर्व पद का प्रभार स्वतः ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ तक दूरभाष पर प्राप्त निदेश के आलोक में योगदान करने हेतु प्रस्थान करने का प्रश्न है, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानानुसार मौखिक रूप से प्राप्त निदेश का यथा शीघ्र लिखित सम्पुष्टि कराया जाना प्रावधानित है, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में लिखित सम्पुष्टि कराये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

श्री ललित कुमार झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य नहीं है। जिससे उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होते हैं।

चूँकि श्री ललित कुमार झा के विरुद्ध प्रमाणित आरोप से स्पष्ट है कि श्री झा का यह कृत्य विभागीय मर्यादा एवं सेवा शुचिता के प्रतिकूल है तथा अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। इसलिए उक्त प्रमाणित आरोप के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री ललित कुमार झा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19 के तहत नियम 14 में उपबंधित लघु शास्ति के अंतर्गत दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाना न्यायोचित और समीचीन होगा।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री ललित कुमार झा, सहायक निबंधक, स.स., सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गुठनी, सिवान को उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए लघु शास्ति के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(क्यासी आग्नी)

ज्ञापांक / पटना, दिनांक

08/नि.को.(रा.)विभागीय-733/2025

प्रतिलिपि :- उप सचिव (ई-गजट) कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं एक सॉफ्ट कॉपी (सी.डी.) सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक / पटना, दिनांक

08/नि.को.(रा.)विभागीय-733/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक / पटना, दिनांक

08/नि.को.(रा.)विभागीय-733/2025

प्रतिलिपि :- श्री ललित कुमार झा, सहायक निबंधक, स.स., सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गुठनी, सीवान को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक / पटना, दिनांक

08/नि.को.(रा.)विभागीय-733/2025

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आशुलिपिक/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/उप सचिव (प्रशाखा-01), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 तथा प्रशाखा-08 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

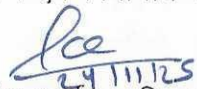
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक 5877 / पटना, दिनांक 25/11/25

08/नि.को.(रा.)विभागीय-733/2025

प्रतिलिपि :- अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, प्रभारी कम्प्यूटर सेल, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1
11/11/25
24-11-2025


विशेष कार्य पदाधिकारी।